

# Order Sheet [Contd]

Case No 236/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27.06.2017	<p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपी आगरा जेल से पेश। सहित श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। प्रकरण में अभियोजन साक्षी उपस्थित नहीं। साक्षीगण को जारी समंस वारंट वाद अदम बापस प्राप्त नहीं है। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 28.06.2017 को पेश हो।</p> <p>(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद</p> <p>पुनश्चय:- पक्षकार पूर्वानुसार। आवेदक/आरोपी धर्मवीरसिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान आवेदनपत्र आरोपी के दिनांक 27.10.2016 के पश्चात् यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना एवं इसके पूर्व कोई आवेदनपत्र न तो लंबित होना और ही निराकृत होना व्यक्त किया है। आवेदनपत्र में निवेदन किया कि है कि आवेदक न्यायालय में संचालित प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र था, किन्तु अन्य प्रकरण में गिरफ्तार होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था जिस कारण उसके विरुद्ध दिनांक 31.08.2015 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आवेदक दिनांक 27.10.16 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लग सकता है। आवेदक समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण वारंट जारी हो गया था, जबकि आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रकरण में अभी तक कुल 3 साक्षियों के कथन हुए हैं। फरियादी की साक्ष्य अभी अंकित नहीं हो पाई है और इसी आधार पर जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।</p>	

प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आवेदक/ अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 05.08.15 को अनुपस्थिति के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तत्पश्चात् आरोपी को दिनांक 17.10.2016 को इस न्यायालय ने प्रोडक्शन वारंट के पालन में प्रस्तुत किया गया था और उस समय आधार यह लिया गया था कि आवेदक/अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में न्यायिक निरोध में था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 15 साक्षियों की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें से केवल 4 साक्षियों का परीक्षण पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत का दुरुपयोग न करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि उसकी ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो जमानत पर छोड़ा जाए।

#### शर्तें—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
3. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
4. जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 28.06.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)